

न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर खंडपीठ रीवा म.प्र.

प्रक. / 2016



R 5134 श्रीमान् राजकुमारी गौतम पति स्व. देवेन्द्र गौतम उम्र 57 वर्ष पेशा घरकार्य निवासी ग्राम सीधी
तह. जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र. प्रार्थिया / निगराकार

बनाम

- 1— अंकिता सिंह पिता श्री दिलीप सिंह गोड उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम रिमार थाना सीधी तह. जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र.
- 2— रामशरण गौतम पिता श्री राजकुमार गौतम उम्र 80 वर्ष पेशा सेवानिवृत ग्रामसेवक निवासी ग्राम सीधी तह. जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र.
- 3— शैलेष पिता श्री रामाधार पाण्डेय निवासी ग्राम सीधी तह. जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र.

श्रीमान् राजकुमारी गौतम
उम्र 57 वर्ष
प्रस्तुत किया गया।
महादेव भट्ट
सर्किट कोर्ट रीवा

गैरप्रार्थिगण / गैरनिगराकारण
निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान्
तहसीलदार महोदय तह. जयसिंहनगर
जिला शहडोल म.प्र. द्वारा राजस्व प्रकरण
क्र. 48 अ - 3/13-14 में पारित आदेश
दिनांक 23.04.2014 के विरुद्ध,
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूरासं.
1959 ई.

महोदय,

प्रार्थिया / निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर

विनयी है कि -

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि -

यह कि गैरनिगराकार क्र. 1 ने बादग्रस्त भूमि खसरा क्र. 787/15 रक्वा 0.036 हे. यानी 9 डिसमिल के पूर्व भूमिरवामी जितेन्द्र कुमार पिता जगदीश प्रसाद काछी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम कुंदरी थाना सीधी तह. जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र. से जरिये विक्रय पत्र मुबलिक 15,000 रु. में क्रय कर उपर्यजीयक कार्यालय जयसिंहनगर में उपस्थित होकर ग्रंथ क्र. 259 दिनांक 21.04.2014 को विक्रय पत्र में चौहदादी दर्शित करते हुए विक्रय पत्र निष्पादित कराया गया था और विक्रय पत्र

राजने कुमारी 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुबृति आदेश पृष्ठ—अ

(61)

प्रकरण क्रमांक R5134-II/16

जिला—शहडोल

राजकुमारी गौतम/ अंकिता सिंह गोड

(1)	(2)	(3)
०५/४/१७	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील जयसिंहनगर के प्रकरण क्रमांक 48/अ-३/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला शहडोल के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	